न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस
भंवर सिंह बनाम भूमिधारी
प्रा0 पत्र – 46/2019 बीटी 1283/2023
पुनः दर्ज 65/2025
जीसीएमएस– 2025/1482

18/08/25 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। प्रकरण का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी के पिता स्व0 धीरसिंह की सही वल्दियत पिता का सही नाम **बालसिंह** है, परन्तु राजस्व ग्राम गुढ़ा स्थित भूमि ख0नं0 2978 रकबा 3.51 हैक्टे0 के 3/4 हिस्से के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के स्व0 पिता की गलत वल्दियत **उगमसिंह** राजस्व कार्मिकों ने गलत रुप से दर्ज कर दी है। उक्त भूमि खसरा नं0 2978 के गत खसरा नं0 1737/2 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा ग्राम जैतूसर था जिसकी जमाबन्दी संवत 2031–34 में प्रार्थी के पिता स्व0 धीरसिंह के पिता का नाम **बालसिंह** सही दर्ज है। परन्तु बाद में जमाबन्दी संवत 2042 में प्रार्थी के पिता धीरसिंह के पिता का नाम उगमसिंह गलत रुप से दर्ज कर दिया गया। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के स्व0 पिता धीरसिंह के पिता का सही नाम **बालसिंह** दुरुस्त किया जावें। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मृत्यु प्रमाण पत्र, मिलान क्षेत्रफल, जमाबन्दी संवत 2027–30, 2031–34, विक्रय पत्र दिनांक 13.05.1981 की प्रतियां पेश की है निमें धरसिंह के पिता का नाम बालसिंह दर्ज है। पत्रावली पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट क्रमांक भू0अ0/2020/2121 दिनांक 22.09.2020 मय रिपोर्ट मौजूद है जिसमें तहसीलदार भूमिधारी ने हाल खसरा नं0 2978 रकबा 3.51 हैक्टे0 में धीरसिंह पुत्र उगमसिंह हि0 3/4 के स्थान पर धीरसिंह पुत्र बालसिंह हि0 3/4 दुरुस्त करने की अभिशंषा की गयी है। पत्रावली में दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए वाद पत्र स्वीकार करने का कथन किया।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता स्व0 धीरसिंह के पिता का नाम उगमसिंह दर्ज है। प्रार्थी का कथन कि प्रार्थी के पिता स्व0 धीरसिंह के पिता का सही नाम बालसिंह है की पुष्टि मृत्यु प्रमाण पत्र, जमाबन्दी संवत 2027–30, 2031–34, विक्रय पत्र दिनांक 13.05.1981 व रिपोर्ट तहसीलदार से बखूबी होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात, रिपोर्ट भूमिधारी के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम गुढ़ा स्थित भूमि ख0नं0 2978 रकबा 3.51 हैक्टे0 के 3/4 हिस्से के राजस्व रिकार्ड में दर्ज **धीरसिंह पुत्र उगमसिंह** के स्थान पर **धीरसिंह पुत्र बालसिंह** दुरुस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijesh Kumar
Date: 2025.08.26 11:32:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रींगस (सीकर)